

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती मैताबदेवी बनाम डहा (वैरा)

स मुकदमा प्राप् पत्र 11/1/23 नं० 47 सन् 2023

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

3.23

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर
विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 28.3.23 को
पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

28³/₂₃

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित, विपक्षीगण
के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल
पत्रावली किये गये । विपक्षीगण को कितनी अर्तवाशिपाजे
खिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विकेड
एक तरफ कार्यवाही किये जाने का इन्डिशन दिया जाता है,
वकील प्रार्थिया का प्राप्त्र स्वीकार किया जाकर निर्णय
मुखक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया । पत्रावली
केसल श्रुमार होकर नम्बर से कम है ।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 47/23 प्रा०पत्र

1- श्रीमती भेताब देवी प्ल० श्री शं फरलाब घोषी निवासी-सुरासा तहसील माण्डल

-प्रार्थी

- | | वनाम |
|---|------|
| 1- श्री उदा प्ल० श्री फालू गाडरी निवासी-सुरासा तहसील-माण्डल | |
| 2- श्री शंकर प्ल० श्री फालू गाडरी | " " |
| 3- श्रीमती सुगना प्ल० श्री फालू गाडरी | " " |
| 4- श्रीमती सायरी प्ल० श्री गोक गाडरी | " " |
| 5- श्री जगदीश प्ल० श्री गोक गाडरी | " " |
| 6- शावराम शाण्ड्य जारिए तहसीलदार सा० माण्डल तहसील-माण्डल | |

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 03-03-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....सुरासा.....पटवार हल्का.....सुरासा.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 648, 648, 649 कुल किता.....03.....रकबा.....0-2529 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03-03-23 को पंजीयत किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....सुरासा.....पटवार हल्का.....सुरासा.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 648/1, 648/2, 649/2 कुल किता.....03.....रकबा.....0-2529 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....सेजा को.....500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फंसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा